Child Labour Projects in Maharastra

1796. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Governemnt have set-up child labour projects (CLPs) in Maharashtra for rehabilitation of the children working in hazardous occupations;

(b) if so, the district wise details thereof;

(c) how the CLPs are working for rehabilitation of the child labour in the State; and

(d) how many child labour were rehabilitated in the State, particularly in Nagpur, during the last three years, yearwise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) to (d) Two National Child Projects have been sanctioned for the State of Maharashtra in the districts of Thane and Sholapur for the rehabilitation of 2000 and 1700 working children respectively. The Child Labour Project Society, Sholapur has already rehabilitated 1200 working children through 24 special schools. The Child Labour Project Society is yet to admit children in the special schools. No Child Labor Project has been sanctioned for the District of Nagpur.

प्रोविडेन्ट फंड का भुगतान न होना

1797. **श्री नागमणि:**

श्री ईश दत्त यादव:

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रोविडेन्ट फंड के कई मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार राज्यवार ऐसे कितने मामले हैं एवं भुगतान न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने प्रोविडेन्ट फंड के भुगतान हेतु क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) जी हां।

(ख) सभी प्रकार से पूर्ण कर्मचारी भविष्य निधि दावों को कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में इनके प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर निपटाया जाना आवश्यक है। तथापि, अधूरे आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने, नियोजक द्वारा विवरणियां प्रस्तुत न करने, हस्ताक्षरों में अन्तर आदि जैसे कारणों से भविष्य निधि दावे के निपटान में कभी-कभी विलम्ब हो जाता है। राज्य-वार लम्बित भविष्य निधि दावों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

(ग) अंशदाताओं को तुरंत सेवा मुहैया करवाए जाने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम संचालित किया गया है। भविष्य निधि दावों के निपटाने के नियमित प्रबोधन के लिए एक केन्द्रीय कार्य योजना भी तैयार की गयी है। भविष्य निधि दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया गया है।

विवरण

31-3-97 की स्थिति के अनुसार लम्बित भविष्य निधि दावे

क्षेत्र का नाम	दावों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	118
बिहार	1638
दिल्ली	497
गुजरात	14190
हरियाणा	1722
कर्नाटक	3826
केरल	711
मध्य प्रदेश	3994
महाराष्ट्र और गोवा	14879
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1256
उड़ीसा	143
पंजाब और हिमाचल	2414
राजस्थान	1506
तमिलनाडु	1537
उत्तर प्रदेश	1312
पश्चिम बंगाल	8617